

समाहरणालय पूर्णियाँ

(जिला भू-अर्जन कार्यालय)

समाहर्ता-सह-समुचित सरकार

अधिघोषणा

(अधिनियम-30/2013 की धारा-19 (1) के अधीन)

संख्या- 69 दि०- 21.01.2020

चूँकि बिहार सरकार/समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि सार्वजनिक प्रयोजनाथ, यथा-पूर्णियाँ जिलान्तर्गत बायसी अनुमंडलीय न्यायालय के लिए भू-अर्जन परियोजना हेतु ग्राम-पानीसदरा, थाना-बायसी, थाना नं०-371, अंचल-बायसी, जिला-पूर्णियाँ में कुल-10.00 एकड़ भूमि अपेक्षित है।

इसलिए अधिघोषणा किया जाता है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन एक भू-खंड है, जो मानक माप से कमोवेश-10.00 एकड़ यानि-4.047 हेक्टेयर है, ग्राम-पानीसदरा, थाना-बायसी, थाना नं०-371, अंचल-बायसी, जिला-पूर्णियाँ में है, जिसका विवरण निम्नवत है:-

क्र० सं०	खाता सं०	सर्वे भूखंड सं०	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्र (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं०)			
							उ०	द०	पू०	प०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	170	383 मी	जमाबंदी रैयत	धनहर-2	0.15	मो० हसनैन रजा ई०, पि०-मो० सोहराब, सा०-कुम्हरवा।	सड़क	खेसरा 384	खेसरा 382	खेसरा 385
2.	214	384 मी	जमाबंदी रैयत	धनहर-2	0.03	बीबी जरीना खातुन, पति-मो० अब्बास, सा०-शादीपुर भूतहा।	सड़क	मतलीब	खेसरा 381	खेसरा 385
3.	169	386 मी	जमाबंदी रैयत	धनहर-2	0.70	अब्दुल मतलीब ई०, पि०-इमामु दीन वो अख्तर हुसैन पि०-अ० लतीफ, सा०-कुम्हरवा।	जैनब	ईसराईल	खेसरा 381	खेसरा 391
4.	26	387 मी	जमाबंदी रैयत	धनहर-2	0.40	मो० कासीम ई०, पि०-मो० युसुफ, सा०-शादीपुर भूतहा।	खेसरा 386	नीज खेसरा	नीज खेसरा	खेसरा 388
5.	241	388 मी	जमाबंदी रैयत	धनहर-2	0.90	मो० इस्तियाज, पि०-मो० सफिक, सा०-चकला कमल शर्मा पि०-राजकुमार शर्मा, सा०-गरैया फकीर टोली पंकज कुमार दास, पि०-बुद्धनलाल दास, सा०-शादीपुर भूतहा।	खेसरा 390	खेसरा 345, 346	खेसरा 384	खेसरा 398
6.	214	396 मी	जमाबंदी रैयत	धनहर-2	0.67	बीबी जरीना खातुन, पति-मो० अब्बास, सा०-शादीपुर भूतहा।	सैदूर रहमान	सूरज भगत	नीज खेसरा	खेसरा 384
7.	291	397	जमाबंदी रैयत	धनहर-2	0.32	बीबी साकेरा बेगम, पति-मो० ताहिद हुसैन, सा०-शादीपुर भूतहा।	खेसरा 396	खेसरा 398	खेसरा 389	नीज खेसरा
8.	169	399 मी	जमाबंदी रैयत	धनहर-2	0.07	अब्दुल मतलीब ई०, पि०-इमामुदीन वो अख्तर हुसैन पि०-अ० लतीफ, सा०-कुम्हरवा।	खेसरा 398	खेसरा 343	खेसरा 388	खेसरा 400
9.	216	398 मी	जमाबंदी रैयत	धनहर-2	0.41	बीबी समसा, पति-मो० सरीफ, सा०-चकला।	खेसरा 414	खेसरा 397	खेसरा 395	खेसरा 414
10.	147	414 मी	जमाबंदी रैयत	धनहर-2	0.35	मो० शरीफ, पि०-घरूरु, सा०-चकला।	खेसरा 415	खेसरा 398	खेसरा 399	खेसरा 418
11.	147	415 मी	जमाबंदी रैयत	धनहर-2	0.50	अब्दुल कलाम वो इस्लाम पि०-अब्दुल मतलीब, सा०-कुम्हरवा।	खेसरा नीज	खेसरा नीज	खेसरा 392	खेसरा 418
12.	147	416 मी	जमाबंदी रैयत	धनहर-2	0.47	मो० तोहीद पि० खलील, सा०-चौन पानीसदरा।	खेसरा नीज	खेसरा नीज	खेसरा 393	खेसरा 417


13.	214	385	जमाबंदी रैयत	धनहर-2	0.97	बीबी जरीना खातुन, पति-मो0 अब्बास, सा0-शादीपुर भूतहा।	सैदूर रहमान	सूरज भगत	नीज खेसरा	खेसरा 384
14.	277	435 मी	जमाबंदी रैयत	धनहर-2	0.07	सईदुरहमान ई0, पि0-हाजी लब्बू, सा0-चौन पानीसदरा।	खेसरा I नीज	खेसरा नीज	खेसरा 416	खेसरा 434
15.	169	390	जमाबंदी रैयत	धनहर-2	1.16	हसनैन रजा ई0, पि0-मो0 सहाराब, सा0-कुम्हरवा।	खेसरा 391	खेसरा 388	खेसरा 386	खेसरा 389
16.	204	393	जमाबंदी रैयत	धनहर-2	0.35	बीबी सायरा, पति-मो0 रफीक, सा0-चौपड़ा।	सड़क	खेसरा 394	खेसरा 392	खेसरा 415
17.	277	392	जमाबंदी रैयत	धनहर-2	0.55	मोतवली मो0 तैयब जामे मसजिद, पि0-अ0 समद, सा0-चौन पानीसदरा।	सड़क	खेसरा नीज	खेसरा 390	खेसरा 393
18.	276	391	जमाबंदी रैयत	धनहर-2	1.05	सईदुरहमान ई0, पि0-हाजी लब्बू, सा0-चौन पानीसदरा।	सड़क	अ0 मतलीब	खेसरा 393	खेसरा 392
19.	147	394	जमाबंदी रैयत	धनहर-2	0.16	मो0 सरीफ, पि0-घरूरू, सा0- चकला।	खेसरा नीज	खेसरा नीज	खेसरा 391	खेसरा 414
20.	147	395	जमाबंदी रैयत	धनहर-2	0.32	मो0 सरीफ, पि0-घरूरू, सा0- चकला।	खेसरा नीज	अ0 मतलीब	खेसरा 390	खेसरा 398
21.	170	389	जमाबंदी रैयत	धनहर-2	0.40	अब्दुल मतलीब ई0, पि0-इमामुद्दीन वो अख्तर हुसैन, पि0-अ0 लतीफ, सा0-कुम्हरवा, पानीसदरा।	खेसरा 395	खेसरा 388	खेसरा 386	खेसरा 397
कुल रकवा-					10.00					

यह अधिघोषणा हितबद्ध व्यक्तियों की आपत्तियों के सुनने और अधिनियम संख्या 30/2013 की धारा-15 में प्रदत्त यथा उपबंधित सम्यक जाँच के पश्चात् किया गया है। भू-अर्जन के कारण पुनर्व्यवस्थापन के लिए संभावित विस्थापित परिवारों की संख्या शून्य है।

उपर्युक्त भूमि या किसी उपर्युक्त भूमि के विशेष भाग में पड़े कोयला खादान, लौह-पत्थर, स्लेट या अन्य खनिज हैं, ऐसे भागों में पड़े हुए खादान एवं खनिज जिसे उस प्रयोजन जिसके लिए भूमि अर्जित की गई है परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाया अथवा उपयोग किए जाने की अपेक्षा है को छोड़कर, आवश्यक नहीं है।

जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, पूर्णियाँ के कार्यालय में किसी कार्य दिवस के दिन भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

संभावित विस्थापित परिवारों की संख्या शून्य रहने के कारण इस भू-अर्जन परियोजना में पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना लागू नहीं हुआ है।


समाहर्ता,
पूर्णियाँ।